

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ग के अधीन किए गए निक्षेप की वापसी के लिए आवेदन पत्र

अभ्यर्थी द्वारा

प्रेषक

नाम

पता

.....

सेवा में

रिटर्निंग आफिसर,
*राष्ट्रपतीय/उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017
नई दिल्ली-110001

विषय:- राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 20 क के अधीन निक्षेप की वापसी।

महोदय,

मैं, *राष्ट्रपतीय/उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए एक अभ्यर्थी था।

2. मैंने उस निर्वाचन के लिए *रिटर्निंग ऑफिसर के पास/भारतीय रिजर्व बैंक/सरकारी कोष में 15,000/-रूपये (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) नकद रूप में, रसीद सं.....के अधीन.....को जमा किए थे।
3. मेरा नाम-निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा *स्वीकार/रद्द किया गया था।
4. मैंने अपनी अभ्यर्थिता* समय पर वापस ले ली थी/वापस नहीं ली थी।
5. मैं निर्वाचित* हुआ था/उस निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए आवश्यक मतों की संख्या के छठवें भाग अर्थात् निर्वाचन में अपेक्षित कोटा से अधिक मत प्राप्त किए थे।

6. मैं अनुरोध करता हूँ कि पैरा-2 में उल्लिखित निक्षेप मुझे लौटा दिया जाए।
7. मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी जानकारी में इस आवेदन में दिए गए सभी कथन सही हैं।

भवदीय,

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

.....*उन शब्दों को काट दें जो
आपके मामले में लागू न हों।

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ग के अधीन किए गए निक्षेप की वापसी के लिए आवेदन पत्र

निक्षेपकर्ता द्वारा जबकि वह अभ्यर्थी न हो

प्रेषक

नाम

पता

.....

सेवा में

रिटर्निंग आफिसर,

*राष्ट्रपतीय/उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017

नई दिल्ली-110001

विषय:- राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 20 क के अधीन निक्षेप की वापसी।

महोदय,

श्री.....(अभ्यर्थी का नाम) *राष्ट्रपतीय/उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 में एक अभ्यर्थी थे।

2. अभ्यर्थी की ओर से मैंने उस निर्वाचन के लिए *रिटर्निंग ऑफिसर के पास/भारतीय रिजर्व बैंक/सरकारी कोष में 15,000/-रूपये (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) नकद रूप में, रसीद सं.....के अधीन.....को जमा किए थे।
3. उनका नाम-निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा *स्वीकार/रद्द किया गया था।
4. उन्होंने अपनी अभ्यर्थिता* समय पर वापस ले ली थी/वापस नहीं ली थी।
5. वे निर्वाचित* हुए थे/उस निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए आवश्यक मतों की संख्या के छठवें भाग अर्थात् निर्वाचन में अपेक्षित कोटा से अधिक मत प्राप्त किए थे।

6. मैं अनुरोध करता हूँ कि पैरा-2 में उल्लिखित निक्षेप मुझे लौटा दिया जाए।
7. मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने इस आवेदन में दिए गए कथनों का सत्यापन कर लिया है और मेरी जानकारी में वे सही हैं।

मैं,.....एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन के पैरा 2 से 5 में अंतर्विष्ट कथन मेरी जानकारी में सही हैं।

भवदीय,

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

.....*उन शब्दों को काट दें जो आपके मामले में लागू न हों।

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ग के अधीन किए गए निक्षेप की वापसी के लिए आवेदन पत्र

अभ्यर्थी के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा

प्रेषक

नाम

पता

.....

सेवा में

रिटर्निंग आफिसर,
*राष्ट्रपतीय/उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017
नई दिल्ली-110001

विषय:- राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 20 क के अधीन निक्षेप की वापसी।

महोदय,

स्वर्गीय श्री *राष्ट्रपतीय/उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 में एक अभ्यर्थी थे। उनकी को मृत्यु हो गई।

2. उन्होंने उस निर्वाचन के लिए *रिटर्निंग आफिसर/भारतीय रिजर्व बैंक/सरकारी कोषमें 15,000/-रूपये (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) नकद रूप में, रसीद सं.....के अधीन.....को जमा किए थे और मैं उनका कानूनी प्रतिनिधि हूँ।
3. उनका नाम-निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा *स्वीकार/रद्द किया गया था।
4. उन्होंने अपनी अभ्यर्थिता* समय पर वापस ले ली थी/वापस नहीं ली थी।

5. वे निर्वाचित* हुए थे/उस निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए आवश्यक मतों की संख्या के छठवें भाग अर्थात् निर्वाचन में अपेक्षित कोटा से अधिक मत प्राप्त किए थे।
6. मैं अनुरोध करता हूँ कि पैरा-2 में उल्लिखित निक्षेप मुझे लौटा दिया जाए।
7. मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने इस आवेदन में दिए गए कथनों का सत्यापन कर लिया है और मेरी जानकारी में वे सही हैं।

भवदीय,

(कानूनी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

.....*उन शब्दों को काट दें जो
आपके मामले में लागू न हों।